संख्या-17८ /2019/174/69-1-19-14(104)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 04 अप्रैल, 2019

विषयः दीनदयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अन्तर्गत राज्य एवं शहर स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों (सी0ओ0) के पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11208/241/एनयूएलएम/तीन/2001 (सीबी एण्ड टी) वाल्यूम-चार दिनांक 28.02.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञों एवं 82 शहरों हेतु शहर स्तर पर 198 तकनीकी विशेषज्ञों अर्थात कुल 204 तकनीकी विशेषज्ञों एवं शहर स्तर पर 474 सामुदायिक आयोजकों (सी0ओ0) के पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-99/2018/206/69-1-2018/14(104)/2013 दिनांक 20 मार्च 2018 द्वारा दिनांक 28.02.2019 तक के लिये प्रदान की गयी थी। अतएव शासनादेश संख्या-226/2015/318/69-1-2015-14(104)/2013, दिनांक 13 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2019 से 29.02.2020 तक बढाये जाने पर सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय-भार, पद सृजन सम्बन्धी शासनादेश में इंगित व्यवस्थानुसार वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये वित्तीय अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-17८(1)/2019/174(1)/69-1-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।